T.A. Misc. Case No. 11/2020-21

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ

अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख श्री सुखलाल पाठ पिंगुवा, पिता– बोंज पाठ पिंगुवा, निवासी ग्राम– खड़बाँध, पो०– खड़बाँध, थाना– कुमारडुँगी, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत 'हो' जाति के है, के द्वारा खाता संख्या– 101, प्लॉट संख्या– 4177, रकवा– 0.03 डिसमिल भूमि जो मौजा– खड़बाँध, थाना संख्या– 291, परगाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, जो क्रेता श्री सुधीर कुमार पिंगुवा, पिता– लक्ष्मी नारायण पिंगुवा, ग्राम– खड़बाँध, पो०– खड़बाँध, थाना– कुमारडुँगी, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) के साथ मकान मरम्मति हेतु 12,600.00 (बारह हजार छः सौ) रूपये की आवश्यकता होने के कारण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बिक्री किये जाने की अनुमति की मांग को लेकर प्रारम्भ किया गया है। आवेदन के साथ क्रेता एवं विक्रेता का स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। प्रमाण पत्र के अनुसार क्रेता एवं विक्रेता कुमारडुँगी अंचल के खड़बाँध मौजा के निवासी है, जो कुमारडुँगी थाना के अंतर्गत आता है तथा इनका जाति 'हो' है जो अनुसूचित जनजाति के है। अंचल अधिकारी, कुमारडुँगी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में उनके पत्रांक– 139 दिनांक– 30.09.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी, कुमारडुँगी एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा आवेदित भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गयी है। प्रतिवेदन के अनुसार खाता संख्या– 101, प्लॉट संख्या– 4177, रकवा– 0.57 एकड़ भूमि आवेदक के पिता– बोंज हो एवं अन्य के नाम से हालसर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि में से रकवा– 0.55 एकड़ भूमि नामान्तरण मुकादमा संख्या– 8/R27/2019-20 के द्वारा विक्रेता के नाम से नामान्तरण हो कर है।

अंचल अधिकारी, कुमारडुँगी एवं ग्रामीण गुण्डा के द्वारा विक्री अनुमति की अनुशंसा की गई है। आम सूचना निर्गत किया गया था, जिसके उपरान्त कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। अंचल अधिकारी, कुमारडुँगी के जाँच प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि ब्रिकी के पश्चात् विक्रेता के पास 3.00 (तीन) एकड़ भूमि अवशेष बचता है, जो भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है तथा दोनो 'हो' जाति के हैं तथा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है।

अतः आवेदक के आवेदन, अंचल अधिकारी, कुमारडुँगी एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदित भूमि खड़बाँध, थाना संख्या– 291, खाता संख्या– 101, प्लॉट संख्या– 4177, रकवा– 0.03 डिसमिल भूमि क्रेता श्री सुधीर कुमार पिंगुवा, पिता– लक्ष्मी नारायण पिंगुवा, ग्राम– खड़बाँध, पो०– खड़बाँध, थाना– कुमारडुँगी, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) के अन्तर्गत आते हैं, को आवेदित राशि अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो अधिक हो पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46(1) प्रोभिजो 'ए' के अन्तर्गत बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Kamleshwar Narayan
Date: 2024.07.15 14:08:36 +05:30
Location: 192.168.29.87

07.11.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

07.11.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Scanned with OKEN Scanner